

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R. 2330 - ११६

शंकुन्तलाबाई पति आनंदीलाल

निवासी-ग्राम मालीखेड़ी तहसील घटिया जिला उज्जैन

.....आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती गीताबाई बेवा मनोहरलाल

2- श्यामलाल पुत्र मनोहरलाल

3- रामलाल पुत्र मनोहरलाल

4- सत्यनारायण पुत्र मनोहरलाल

5- शिवनारायण पुत्र मनोहरलाल

6- सीताबाई पति धुलजी

7- रमेश पिता धुलजी

8- आनंदीलाल पिता धुलजी

9- लालकुअंरबाई पिता धुलजी

10- न्यायत्रीबाई पिता धुलजी

11- पार्वतीबाई पिता धुलजी

12- गंगाबाई पिता धुलजी

समस्त निवासी ग्राम मालीखेड़ी, तहसील घटिया

जिला उज्जैन.

.....अनावेदकगण

पुनर्निरक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, उज्जैन के प्रकरण क्र. 31/निगरानी/09-10 में पारित आदेश दिनांक 28/06/14 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन-पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :-

01. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखे व समझे बगैर उसके विपरित निष्कर्ष निकाल कर आदेश पारित करने में महान वेधानिक त्रुटी की है।

03

यह कि आवेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर आमना नामांतरण द्वेष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति की थी उक्त आपत्ति पर तहसील


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - बवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2330-एक/14

जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८-१२-१४	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २७-३-१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	



प्रशासकीय सदस्य